न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 10/2024

राजस्थान सरकार जरिये नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर ......प्रार्थी

बनाम

मैसर्स रमेश सउथ इण्डियन, पुरानी मण्डी, अजमेर

जरिये श्री मनीष रमेश पुत्र श्री रमेश राजपूत

निवासी– हाथीभाटा, गौतम स्कूल की गली, अजमेर पुलिस थाना सदर कोतवाली

.......अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
2. श्री मनीष रमेश पुत्र रमेश राजपूत अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:आदेश:–

दिनांक 28.08.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.2024 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) कि निर्देशानुसार गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत् जांच दल मैसर्स रमेश साउथ इण्डियन, पुरानी मण्डी, अजमेर पर पहुंचे। उक्त दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर लगा कर प्रयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नही किए।

उक्त स्थान पर घरेलू सिलेण्डर का उपयोग कर दुरूपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता हैं। अप्रार्थी द्वारा एल.पी. जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एलपीजी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर श्री दीपक चौहान पुत्र श्री रामा चौहान, कार्मिक गुलाब गैस सर्विस, अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया:–

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
	67848	Indane	16.7	28.7	12.0

सिलेण्डर को श्री दीपक चौहान पुत्र रामा चौहान, कार्मिक गुलाब गैस सर्विस, अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। उभयपक्ष को सुनवाई चाहने पर सुना गया।

जिला कलक्टर,
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.05.2024 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) कि निर्देशानुसार गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत् जांच दल मैसर्स रमेश साउथ इण्डियन, पुरानी मण्डी, अजमेर पर पहुंचे। उक्त दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर लगा कर प्रयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नही किए। उक्त स्थान पर घरेलू सिलेण्डर का उपयोग कर दुरूपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता हैं। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एलपीजी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। अतः कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम की जानकारी के अभाव में किया गया जिसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं थी। उपरोक्त कृत्य शिक्षा के अभाव में जानकारी नहीं होने से किया गया जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण का निस्तारण कर क्षमा प्रदान करें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। दिनांक 28.05.2024 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत् जांच दल मैसर्स रमेश साउथ इण्डियन, पुरानी मण्डी, अजमेर पर पहुंचे। उक्त दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर लगा कर प्रयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एलपीजी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। उक्त स्थान पर घरेलू सिलेण्डर का उपयोग कर दुरूपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में उपरोक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी के अभाव में किया जाना स्वीकार किया गया हैं। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। गैस सिलेण्डर का नियमानुसार जिला रसद अधिकारी, अजमेर निस्तारण करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर